

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

प्रकरण संख्या 29 / 2022

उनवान

श्री. अचरत पिला बनाम श्री. शंकर लाल पिला
 मोहन देवतक (हरजन) श्री. मंगल देवतक (हरजन)
 वि. मंगरौप तर मंगरौप वि. मंगरौप तर हमीरगढ
 111, 128 L.P. Act प्रा0पत्र/राजस्व वाद

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
----------	---------------------------------	---

14/3/22 बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो।
 पत्रावली दिनांक 22/3/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 हमीरगढ

30/3/22

पत्रावली पेश हुई। तकील प्राची उप। मजर्ची अन्त। लगायत 9 कि सम्मन वाद तामिल प्राप्ता जो वा.फा. मजर्ची अन्त। लगायत 8 वा तलुद अन्त। मजर्ची अन्त। लगायत 8 को उपविभागा होने हेतु अन्तर दिया जाकर पत्रावली दि 29/3/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 हमीरगढ, भीलवाड़ा

29/3/22

पत्रावली पेश हुई। तकील प्राची उप। मजर्ची अन्त को उप होने हेतु अन्तिम अन्तर दिया जाकर पत्रावली दि 31/3/22 को पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 हमीरगढ, भीलवाड़ा

5.4.2022

पनावली पेशदुरी वकील पार्टी उपर ।
 अपायीणा सं. २०१३ को विधिका रूप
 से आवाजे लगाई गई परन्तु और उप. नवी
 ऐसी लिखती में प्रति.सा. २०१३ के विरुद्ध
 एक तरफ कार्यवाही के आदेश पारित
 किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः
 अपायीणा सं. २०१३ अन्त. रहने से
 उनके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही
 के आदेश उक्त किये जाते हैं।
 साथ ही पार्टी का श. पत्र. 111, 128
 पर एक विरुद्ध अपायीणा स्वीकार
 किया जाता है। निर्णय पुस्तक से लिखाया
 जाकर शा. जाग पत्रावली में सल सुकाट
 होकर दाखिल पत्रक है।

3
 उपखण्ड अधिकारी
 हमीर... (राज.)